Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 37 - 2017] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2017
(20 भाद्र, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	कुछ नहीं	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	अधिसूचना संख्या का0आ0 63/के0अ0 33/1989/धा0 14/2017, दिनांक 8 सितम्बर, 2017 – हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में सभी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने बारे । (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	613–614
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग-III

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2017

संख्या का0आ0 63/के0अ0 33/1989/धा0 14/2017.– अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम 33), की धारा 14 की उप धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति से तथा हरियाणा सरकार न्याय प्रशासन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ0 85/के0अ0 33/1989/धा0 14/2011, दिनांक 2 नवम्बर, 2011 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में प्रत्येक जिले में सभी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं ।

राम निवास,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2017

No. S.O. 63/C.A. 33/1989/S.14/2017.— In exercise of the powers conferred by the first proviso to Sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (Central Act 33 of 1989), and with the concurrence of Hon'ble the Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court and in supersession of the Haryana Government, Administration of Justice Department, notification No. S.O. 85/C.A. 33/1989/S. 14/2011, dated the 2nd November, 2011, the Governor of Haryana hereby specifies the Courts of all first Additional Sessions Judges in every district, in the State of Haryana, to be a Special Court to try the offences under the said Act.

RAM NIWAS,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.

55595—C.S.—H.G.P., Chd.